International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 02(II), April - June, 2024, pp. 151-155

वनवासी सम्प्रदाय एवं पर्यावरण सुरक्षा (वनवासी जातियों के विशेष संदर्भ में)

डॉ. मन्जु गांधी*

प्रस्तावना

भारत में अनेक धर्म, मत, सम्प्रदाय, प्रजाति एवं जाति के लोग निवास करते है। यहां की सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 7.4 प्रतिशत भाग आदिम जातियों या जनजातियों द्वारा निर्मित है। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 करोड़ 16 लाख जनसंख्या जनजातियों की थी, जो बढ़कर 1991 में 6.78 करोड़ तथा वर्तमान में 8 करोड़ से ऊपर हो गई है।

जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति (वनवासी) गिरजन एवं अनुसूचित जनजाति आदि नामों से पुकारा जाता है।

भारत में प्रमुख जनजातियों के विवरण को हम निम्न तालिका के रूप में दर्शा सकते है :–

क्र.सं.	जनजातियों के नाम	निवास क्षेत्र
1.	मुंडा, ओराव, हो, बिरहोर	झारखण्ड, उड़ीसा
2.	कोल, भील	राजस्थान की दक्षिणी सीमा, गुजरात व विन्ध्याचल की पहाड़ी में
3	भोतिया	गढ़वाल व कुमाऊ जिला (उत्तरांचल)
4	गारो	असम के कामरूप, गोलपाड़ा, पश्चिम बंगाल का मैमनसिंह जिला
5	सन्थाल	झारखण्ड के सन्थाल तथा रांची परंगनो, उड़ीसा के कटक में
6	मुण्डा, अगारिया, बैगा	छत्तीसगढ़
7	गौड	विन्ध्याचंल की पर्वत श्रेणी
8	खासी	असम की जयन्तिया तथा खासी पहाड़ियो पर
9	थार	उत्तराचंल के नैनीताल जिले में
10	कूकी	असम के लुशाई प्रदेश में
11	चेंचू	हैदराबाद के जंगलों में
12	बैंगा	मध्यप्रदेश के दक्षिणी भाग में एवं छत्तीसगढ़ में
13	गरासिया	राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में
14	जुआंग	उड़ीसा के क्योझर व थेकनाल रियासतों में
15	नागा	नागालैण्ड

ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहकर अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप जीवनयापन करते हुए अपने जीवन पद्धति, भाषा संस्कार एवं व्यवसायों को अक्षुण्य बनाये हुए है, आदिवासी या जनजाति कहलाते है।

आदिवासियों को वनवासी भी कहा जाता है। वनवासियों का जुड़ाव वनो से रहा है। वनभूमि उनकी मां है, जिसके आंचल की छाव में उनकी संस्कृति सुरक्षित रही है और जिसके जल, जंगल और जमीन लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय रहे है, और उनकी रक्षा हेतु उन्होंने अपने जीवन का बलिदान देने में भी विलम्ब नहीं किया है। वनवासियों ने वनों से कुछ लिया भी है तो उन्हें अपना तन–मन और हृदय का निःस्वार्थ प्रेम समर्पित कर पाला–पोसा भी है।

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

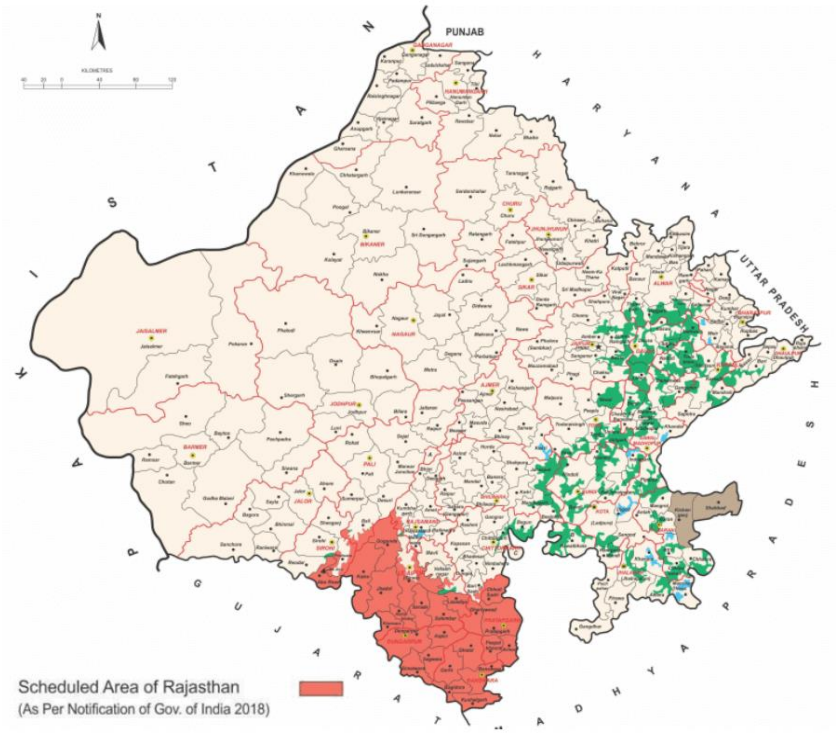

भारत में स्वतंत्र होने पर भी अंग्रेजी मानसिकता नहीं गई तथा कानून वनवासियों के लिए और भी सख्त होते गए। 1952 ई. में राष्ट्रीय वन नीति घोषित कर वनवासियों को वन उजाड़ने का दोषी ठहराया गया। वर्ष 1972 ई. में वन्य जीवन सुरक्षा हेतु कानून लागू कर लाखों वनवासियों को वनों से इसी भांति खदेड़ दिया गया, जैसे एक माँ की गोद से दुध मुँहे बच्चे को छीनकर अलग किया जा रहा हो।

वर्ष 1976 ई. में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने घोषणा की कि वनवासी ही वनों का नाश कर रहे है। अतः वनों की सुरक्षा हेतु वनवासियों को वनों से बाहर निकालना आवश्यक है। वर्ष 1980 ई. में 'वन संरक्षण अधिनियम लागू कर वनों में पेड़ का पत्ता तोड़ना भी अपराध की श्रेणी में रख दिया गया और उसके लिए दण्ड प्रावधान किए गए।

वर्ष 2002 में वनों में रह रहे 1 करोड़ वनवासियों को समय सीमा के अन्दर वन खाली करने के निर्देश दे दिय गए, क्योंकि वे वन एवं वन्य जीवन की सुरक्षा में खतरा बन चुके थे। इस प्रक्रिया में भारत भर में 25000 वनवासी परिवारों के घर तोड़ डाले गए। असम और महाराष्ट्र में यह कार्य करने के लिए बुलडोजरों और हाथियों को लगाया गया। 1 लाख वनवासियों को जेल में सीखंचों के पीछे डाल दिया गया लेकिन सरकार ने वनों का विध्वंस करने वाले ठेकेदारो, पूंजीपतियों और वन अधिकारियों के विरूद्ध एक भी कदम नहीं उठाया।

आज की पर्यावरणीय समस्या के निम्न कारण है–

- घटते वन
- वनोषौधियों की जरूरत
- वन्य–जीव जन्तुओं की सुरक्षा का प्रश्न
- हर्बल की मांग
- अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय एवं राज्यीय स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा हेतु संचालित मांगे एवं प्रयास।

आज वनों की महत्ता वाले देश में भौतिकवादी संस्कृति के परिणामस्वरूप वनों का विध्वंस जारी है मानव प्रेम के संकुचित होते दायरे में वृक्षों और वनों की रक्षा हेतु कदम आगे बढ़ाने का आज किसके पास समय है। सरकार भी विकास नीतियों के नाम पर वनों की अंधाधुंध कटाई करने में जुटी हुई है। जिससे वन्य जीवों का आवास नष्ट हो रहे है, प्रदूषण बढ़ रहा है।

वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और सिमटते जंगलों के कारण देश की भूमि बंजर और रेगिस्तान में परिवर्तित होती जा रही है।

वनों के कटने से प्रतिवर्ष 2 अरब टन अतिरिक्त कार्बन–डाई–ऑक्साइड वायुमण्डल में घुल–मिल रही है और मिट्टी का कटाव शीघ्रता से हो रहा है तापमान में वृद्धि के कारण 20 से 25 प्रतिशत फसलों का उत्पादन कम हो रहा है और पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता जा रहा है।

वायु प्रदूषण बढ़ रहा है ओजोन परत बढ़ने में भी वनों की अंधाधुंध कटाई उतरदायी है। वनों की बेरहमी से हो रही कटाई से एक ओर ग्लोबल वार्मिग बढ़ रही है, वहीं प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ रहा है। लाखों की संख्या में वन्य जीव लुप्त हो रहे है।

वनवासियों की समस्याएँ

वनवासियों की निम्नलिखत समस्याएँ है–

- **कृषि से सम्बन्धित समस्याएँ :** लगभग सभी भील और आदिवासी लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते है तथा पहाड़ी ढलानों पर कृषि करते है। अतः कृषि योग्य एवं उपजाऊ भूमि का अभाव है। कंकरीली एवं पथरीली भूमि में पैदावार कम होता है। सिंचाई के साधनों का भी अभाव है और सम्पूर्ण कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। कीड़ो–मकोड़ो के उत्पात से फसल की रक्षा के साधनों एवं दवाओं के ज्ञान का भी इनमें अभाव है, अतः कई बार फसल नष्ट हो जाती है या सड़–गल जाती है।
- स्थानान्तरित कृषि के कारण जंगल की कीमती लकड़ियां जल जाती है तथा भूमि का कटाव होने लगता है।
- सरकार की नयी वन नीति के कारण जंगल संबंधी इनके अधिकारों पर अनेक नियन्त्रण लगा दिये गये है, जिससे उन्हें कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और जीवन–यापन भी कठिन हो गया है।
- हिन्दुओं के सम्पर्क के कारण इन्होंने हिन्दुओं की कई कुप्रथाओं को स्वीकार कर लिया है, उनमें बाल–विवाह होने लगे है।
- मुद्रा अर्थ–व्यवस्था से परिचित होने के कारण उनका आर्थिक शोषण बढ़ा है। व्यापारी साहूकार एवं ठेकेदार इनका आर्थिक शोषण करते है।
- सागड़ी प्रथा के कारण भी इनकी स्थिति बन्धुआ मजदुरो जैसे हो जाती है, उन्हे ऋणदाता के यहॉ जबरन श्रम करना होता है। यद्यपि राजस्थान सरकार ने 1961 में कानून द्वारा इस प्रथा को समाप्त कर दिया और 1976 में भी कानूनी प्रयत्नों से इसमें कुछ सुधार हुआ, लेकिन व्यवहार में अब भी कहीं–कहीं इसका प्रचलन है।
- भीलों में भगत आन्दोलन के कारण विघटन हुआ है और वे भगत व अभगत तथा उजले एवं मैले दो भागों में बंट गये है।
- नवीन सम्पर्क के कारण इनके लोकगीतों, नृत्यों, कहावतों, मौखिक साहित्य एवं कला का ह्रास हो रहा है। इनके मनोरंजन के साधनों की आलोचना की जाने के कारण ये इन्हें त्यागते जा रहे है और उनके स्थान पर आधुनिक एवं महंगे मनोरंजन के साधन अपना रहे है।
- जो लोग ईसाई बन गए है वे अपने मूल समूह से पृथक हो गये है तथा इससे उनमें पृथकता एवं श्रेष्ठता के भाव पैदा हुए है।

- इन लोगों के पास चिकित्सा के नवीन साधनों का अभाव है और ये अनेक बीमारियों से ग्रस्त है, अतः इनका स्वास्थ्य क्षीण है तथा ये कुपोषण से पीड़ित है।
- गरीबी इनकी भयंकर समस्या है। कई बार तो इन्हें पेड़ों के पत्तों एवं महुआ की कोपलें एवं बीजों को खाकर ही गुजारा करना पड़ता है।
- इन लोगों में शिक्षा का अभाव है अतः इनमें अज्ञानता एवं रूढ़िवादिता पायी जाती है।
- आधुनिकता के सम्पर्क के कारण इन्होंने फैशन एवं नवीन वस्त्र प्रणाली अपनायी है तथा लिपिस्टिक, इत्र, तेल आदि का प्रयोग शुरू किया है, जिनके लिए कभी–कभी इन्हें ऋण तक भी लेना होता है। इस प्रकार इनका जीवन दिनों–दिन महंगा और खर्चीला होता जा रहा है।
- पहाड़ी एवं जंगली स्थानों में रहने के कारण इनके निवास स्थान एवं गांव तक पहुंचना कठिन है। आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का अभाव है और यातायात के आधुनिक साधनों जैसे रेल व बस सेवाएं भी कम ही उपलब्ध है। इस कारण उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं बाजार तक नहीं आ पाती है और उन्हें अपनी वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।
- जनजातिय क्षेत्र में कई स्थानों पर तो पेयजल की बड़ी समस्या है। ये लोग झरनों, नदी एवं तालाबों तक का पानी पीते है। ऐसे पानी में कीड़े–मकौड़े एवं जहरीलापन होने के कारण इनमें त्वचा के रोग एवं 'नारू' रोग पाये जाते है।

वर्ष 1975 में भारत में प्रथम वन अधिनियम लागू कर वनों को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। उसके बाद तो वन कानूनों की कतारे लग गई जहां भी अंग्रेजों को कानून में कोई छेद दिखाई देता तो उसके लिये नया कानून में लागू कर देते। वन अधिनियिम 1927 द्वारा सभी प्रकार की वन उपजों पर लगान लगा दिया गया।

अंग्रेजी व्यापारियों ने जब भारत के वनों में बिखरी अतुल्य प्राकृतिक सम्पदा देखी तो उन्होंने उसे हथियाने के लिए कानून का सहारा लिया वर्ष 1793 में प्रथम बार 'परमानेन्ट सेटलमेन्ट एक्ट' लागू कर वनवासियों की वन भूमि जमीदारों के हाथों में सौंप दी गई। वर्ष 1855 में सरकारी नीति लागू कर घोषणा कर दी गई कि वन सरकार के है और उन पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। वर्ष 1865 में भारत में प्रथम वन अधिनियम लागू कर वनों को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण ले लिया गया।

वन संरक्षण एवं वनवासियों हेतु कुछ सुझाव

- जल, जमीन, जंगल की आजकल की स्थिति को बताना।
- वनवासी सम्प्रदाय द्वारा किए गए प्रयास।
- वनसुरक्षा, वनोषौधि, आयुर्वेद, हर्बल, जीव दया एवं सुरक्षा आदि।
- अंग्रेजों की राजनीतिक एवं आर्थिक प्राथमिकताओं को देखकर बनाये गये भारतीय वन कानून में या तो आमूल चल परिवर्तन किया जाए अथवा उसे समाप्त कर दिया जाए, जिसके कारण देश में वनों का ह्रास हो रहा है।
- भारत की 75 प्रतिशत से अधिक अत्यन्त निर्धन जनता झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश राज्य के वनवासी बहुल क्षेत्रों में निवास करती है, अतः निर्धनता उन्मूलन हेतु स्थानीय वनवासी समुदाय को उनके वन संसाधनों के प्रबन्ध एवं उपयोग हेतु पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।
- पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं ताकि लोग वृक्षों की कटाई न करें।
- पुत्र के जन्म पर पांच फलदार पौधे लगाए जाने चाहिए। इसके लिए शासकीय नौकरी के समय साक्षात्कार में पांच अंक उसे बोनस के रूप में दिए जाने की व्यवस्था हो।

- सरकार उन उद्यमियों से बड़ी संख्या में वृक्षारोपण करवाएं जो अपना उद्योग चलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते है।
- सरकार आटा मशीनों के लाईसेन्सो की जांच करने और उन पर निगरानी रखने के लिए निर्देश दे।
- जन्म दिवस पर या विशिष्ट अवसरों पर वृक्ष लगाने की भावना को जागृत किया जाएं, साथ ही किसी एक वृक्ष का उत्तरदायित्व यदि एक परिवार ले सके।
- पर्वों, विशिष्ट अवसरों यथा विवाह, कन्या की विदाई आदि पर पेड़–पौधे उपहार में देने की प्रथा का प्रचलन हो।
- वृक्ष पूजन परम्परा को पुनर्जीवित कर प्रकृति से भावात्मक सम्बन्ध स्थापित करने पर बल दिया जाए।
- उत्तम साहित्य के सृजन द्वारा मनुष्य में वृक्षों के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न की जाए।
- पौधारोपण के पश्चात् के संरक्षण और संवर्धन के लिए समाज में जागृति लाई जाए।
- नदियों के तटों पर बड़ी संख्या में वृक्ष लगाकर मिट्टी को बांधना तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बड़े पैमाने पर व्यवस्था की जाए।
- वृक्षों की खेती को बढावा दिया जाए इससे पैदावार पांच से दस गुना अधिक होगी और मिट्टी का क्षरण रूकेगा।
- वन कटाई पर सख्त प्रतिबन्ध हेतु कड़े कानून बनाए जाए।
- लोगों को अपने पिता–माता और संबंधियों को स्मृति में पत्थर के स्थान पर पौधे लगाने के लिए जागरूक किया जाए और उसकी देखभाल परिवार के सदस्य के रूप में करें।
- प्रत्येक घर में कम से कम एक वृक्ष लगाने को लोगों को प्रेरित किया जाए।
- प्रत्येक विद्यालय में हर्बल गार्डन बनाए जाएं, जिससे विद्यार्थी प्रकृति मां के प्रति आत्मीयता स्थापित कर सके।
- सार्वजनिक स्थलों पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएँ जाए।
- राजस्थान के विश्नोई समाज में पशु–पक्षी एवं वनों के प्रति जो प्रेम है उस भावना का स्थानान्तरण जन–जन में हो।
- पुत्री के जन्म पर पांच इमारती वृक्ष यथा सागौन, शीशम, साल वन का वृक्षारोपण स्वयं की भूमि अथवा वृक्षारोपण हेतु संरक्षित शासकीय भूमि में कर उसकी देखभाल पालक द्वारा की जाए।

निष्कर्ष

सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अधिक से अधिक वृक्ष लगाएँ तथा उन सभी के लिए कड़े दण्ड का प्रावधान रखे, जो अनाधिकृत रूप से पेड़ों को निरन्तर काट रहे है। केवल सरकार ही नहीं अपितु समस्त समाज सेवी संस्थाओं तथा विशेष रूप से नवयुवकों को वृक्षारोपण की दिशा में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। वन मानव जीवन के लिए ही नहीं अपितु समस्त जीव जन्तुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अगर व नही नहीं रहेंगे तो वनवासी कहां रहेंगे। अतः वन संरक्षण हम सब की एक जरूरत है। वनवासियों के लिए तथा जीवन में हरियाली कायम रखने के लिए वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सामाजिक मानवशास्त्र – डॉ. विरेन्द्र प्रकाश शर्मा
2. राजस्थान का भूगोल – डॉ. लाजपतराय भल्ला
3. सामाजिक मानवशास्त्र – प्रो. एम.एल. गुप्ता, डॉ. डी.डी. शर्मा
4. 21 मार्च 2014 समाचार पत्र रिपोर्ट
5. पर्यावरण भूगोल – डॉ. लाजपतराय भल्ला

❖◆❖